



**NEERAJ®**

# **M.P.S. - 3**

## **भारत : लोकतंत्र और विकास**

**( India: Democracy and Development )**

**Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

# **I.G.N.O.U.**

**& Various Central, State & Other Open Universities**

*By: Dr. Subodh Jha & Dr. Sanjay Kumar Srivastav*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com)

Website: [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 350/-**

## Content

# **भारत : लोकतंत्र और विकास**

## **( India: Democracy and Development )**

Question Paper—June-2024 (Solved) .....	1-3
Question Paper—December-2023 (Solved) .....	1
Question Paper—June-2023 (Solved) .....	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) .....	1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) .....	1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) .....	1-4
Question Paper—December, 2019 (Solved) .....	1
Question Paper—June, 2019 (Solved) .....	1
Question Paper—December, 2018 (Solved) .....	1
Question Paper—June, 2018 (Solved) .....	1
Question Paper—December, 2017 (Solved) .....	1-3
Question Paper—June, 2017 (Solved) .....	1

---

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती – विकास, अधिकारों व भागीदारी के संदर्भ में ..... ( Legacy of National Movement with Reference to Development, Rights and Participation )	1
2.	विकास प्रतिमान-विषयक बहस संरचना ..... ( Debates on Models of Development )	8
3.	संविधान और सामाजिक परिवर्तन ..... ( Constitution and Social Transformation )	14
4.	विविधता और बहुवाद ..... ( Diversity and Pluralism )	23

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
5.	असमानता : जाति और वर्ग ..... ( Inequality: Caste and Class )	32
6.	विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ..... ( Political Economy of Development )	38
7.	अर्थव्यवस्था की संरचना एवं वृद्धि (गरीबी, अधिशेष और विषमता) ..... ( Structure and Growth of Economy: Poverty, Surplus and Unevenness)	51
8.	विधायिका ..... ( Legislature )	61
9.	नौकरशाही, पुलिस और सेना ..... ( Bureaucracy, Police and Army )	73
10.	कानून-व्यवस्था और न्यायपालिका ..... ( Legal System and Judiciary )	78
11.	संघवाद ..... ( Federalism )	86
12.	सत्ता हस्तांतरण एवं स्थानीय स्वशासन ..... ( Devolution of Powers and Local Self-Government )	96
13.	राजनीतिक दल एवं राजनैतिक सहभागिता ..... ( Political Parties and Political Participation )	105
14.	भारत में श्रमिक वर्ग एवं कृषक आंदोलन ..... ( Workers and Peasant Movements in India )	114
15.	संचार माध्यम और जन-नीतियाँ ..... ( Media and Public Policy )	122
16.	हित-समूह एवं नीति-निर्माण ..... ( Interest Groups and Policy-making )	127
17.	भारत में अभेदवाद की राजनीति (जाति, धर्म, भाषा तथा संरचना) ..... ( Identity Politics: Caste, Religion, Language and Ethnicity )	135
18.	नागरिक समाज : सामाजिक आंदोलन, गैर-सरकारी संगठन और स्वैच्छिक कार्य ..... ( Civil Society: Social Movements, NGOs and Voluntary Action )	139

S.No.	<i>Chapterwise Reference Book</i>	Page
19.	मानव-विकास : स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा ..... ( Human Development: Health, Education and Social Security )	143
20.	लिंगभेद और विकास ..... ( Gender and Development )	149
21.	क्षेत्रीय असंतुलन ..... ( Regional Imbalances )	160
22.	प्रवासन और विकास ..... ( Migration and Development )	167
23.	पर्यावरण एवं सतत विकास ..... ( Environment and Sustainable Development )	172
24.	आर्थिक सुधार और भूमण्डलीकरण ..... ( Economic Reforms and Globalisation )	177
25.	धार्मिक राजनीति ..... ( Religious Politics )	188
26.	नृजातीयता तथा राष्ट्र-राज्य ..... ( Ethnicity and Nation-State )	192
27.	भारत में लोकतंत्र और विकास : एक मूल्यांकन ..... ( Democracy and Development in India: An Assessment )	196



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**  
[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

*June – 2024*

*(Solved)*

**भारत : लोकतन्त्र और विकास**  
(**India: Democracy and Development**)

**M.P.S.-3**

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

**नोट :** कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीतिए। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## खण्ड-I

**प्रश्न 1.** भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रकृति और उनके बीच के संबंध का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध देश के संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जाँच और संतुलन की व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि सरकार की कोई भी शाखा बहुत शक्तिशाली न हो जाए। जबकि कार्यपालिका कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यकारी और विधायी कार्य भारत के संविधान के अनुरूप हैं। हालांकि यह संबंध समय के साथ विकसित हुआ है, जो सहयोग और तनाव दोनों से चिह्नित है।

**संवैधानिक ढाँचा—**भारत का संविधान सरकार की तीन शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण स्थापित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का स्पष्ट रूप से आवान किया गया है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है, जिसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। यह अधिकार न्यायपालिका को संविधान का उल्लंघन करने वाले कार्यकारी कार्यों या विधायी अधिनियमों को रद्द करने की अनुमति देता है।

**न्यायिक स्वतंत्रता—**न्यायिक स्वतंत्रता एक मूलभूत सिद्धांत है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को रेखांकित करता है। न्यायपालिका को निष्पक्ष रूप से कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। भारत में, इस स्वतंत्रता को कई संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से

सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल की सुरक्षा और न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाने पर रोक। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया के बाद की जाती है, जिसमें मौजूदा न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श शामिल होता है। समय के साथ, न्यायपालिका ने नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण का दावा किया है, विशेष रूप से 'कॉलेजियम सिस्टम' के माध्यम से, जहां वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। यह प्रणाली विवाद का विषय रही है, जिसमें कार्यपालिका कई बार न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक प्रभाव चाहती है।

हाल के वर्षों में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध फिर से जांच के दायरे में आ गए हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर बहस, जिसे न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानती है, और 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के लिए कार्यपालिका का दबाव, चल रहे तनाव को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक करार देते हुए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता की पुष्टि की। इसके अलावा, न्यायपालिका उन क्षेत्रों में सक्रिय रही है, जिन्हें पारंपरिक रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जैसे पर्यावरण विनियमन, पुलिस सुधार और शासन संबंधी मुद्दे। इस न्यायिक सक्रियता की कभी-कभी 'न्यायिक अतिक्रमण' के रूप में आलोचना की जाती है, जिसमें कार्यपालिका यह तर्क देती है कि न्यायपालिका उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। इस प्रकार, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध जटिल और गतिशील हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों, ऐतिहासिक विकास और बदलते राजनीतिक संदर्भों द्वारा आकर लेते हैं। यद्यपि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन को बनाए रखने और

# QUESTION PAPER

*December – 2023*

(Solved)

**भारत : लोकतन्त्र और विकास**  
(India: Democracy and Development)

**M.P.S.-3**

समय : 3 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## खण्ड-I

प्रश्न 1. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-1, पृष्ठ-3, ‘समाजवाद का बोध’, पृष्ठ-6, प्रश्न 3

प्रश्न 2. भारत में जातिगत असमानता की प्रकृति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-5, पृष्ठ-32, ‘परिचय’, पृष्ठ-33, ‘भारत में जातीय असमानता का स्वरूप’

प्रश्न 3. विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-6, पृष्ठ-44, ‘राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलू : विकास के सिद्धांत’

प्रश्न 4. भारत में न्यायपालिका के कामकाज का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-10, पृष्ठ-79, ‘न्यायपालिका की संरचना’

प्रश्न 5. भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-11, पृष्ठ-93, ‘संघीय तंत्र की कार्यप्रणाली’

## खण्ड-II

प्रश्न 6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(क) भारत में किसान आन्दोलन

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-14, पृष्ठ-117, ‘भारत में कृषक आंदोलन’, ‘औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस’, ‘औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस, साम्यवादी एवं कृषक आंदोलन’, पृष्ठ-119, ‘औपनिवेशिकोत्तर भारत में ग्रामीण निर्धन आंदोलन’

(ख) भारत में लोकतंत्र और हित समूह

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-16, पृष्ठ-128, ‘लोकतंत्र एवं हित समूह’

प्रश्न 7. विकास और लैंगिक न्याय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-20, पृष्ठ-156, ‘लिंगभेद विकास और न्यायशीलता’

प्रश्न 8. भारत में क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-21, पृष्ठ-162, ‘क्षेत्रवाद के आधार : 1956 से 1960 के दशक’, पृष्ठ-163, ‘क्षेत्रवाद में हाल की वृद्धि’

प्रश्न 9. ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारणों और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-22, पृष्ठ-167, ‘आंतरिक प्रवास के कारण’

प्रश्न 10. भारत में लोकतंत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें—अध्याय-27, पृष्ठ-197, ‘लोकतंत्र और विकास’

■ ■

# **Sample Preview of The Chapter**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत : लोकतंत्र और विकास

( India: Democracy and Development )

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती-  
विकास, अधिकारों व भागीदारी के संदर्भ में  
( Legacy of National Movement with Reference  
to Development, Rights and Participation )

1

## प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष पहलू खासतौर से गांधीवादी राजनीति की रणनीति उस समाज में चलाए जाने वाले आंदोलनों के लिए विशेष रूप से सार्थक है, जो समाज कानूनी ढाँचे के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा लोकतांत्रिक और मूलतः नागरिक स्वतंत्रता वाली राजव्यवस्था जिन समाजों की विशेषता मानी जाती है। विश्व के इतिहास में अपने तरह का यह एकमात्र आंदोलन है जिसमें दृष्टिकोणों के टकराव का ग्राम्पी द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य सफलतापूर्वक अमल में लाया गया, जहाँ राजसत्ता पर क्रान्ति के जरिए एक खास ऐतिहासिक क्षेत्र में कब्जा नहीं किया गया बल्कि इसके विपरीत नैतिक, राजनीतिक और विचारात्मक तीनों ही स्तरों पर लंबे जनसंघर्ष चलाकर इसको हासिल किया गया जहाँ अनेक वर्षों में धीरे-धीरे जवाबी राजनीतिक नेतृत्व की शक्ति संचित की गई तथा जहाँ संघर्ष और शांति के दौर बारी-बारी से आते-जाते रहे।

इसने न केवल मौजूदा ढाँचे द्वारा दिए गए संवैधानिक अवसरों का बिना उस ढाँचे का हिस्सा बने, किस तरह उपयोग किया जा सकता है, का उदाहरण प्रस्तुत किया बल्कि सार्वजनिक उद्देश्य का व्यापक आंदोलन किस प्रकार खड़ा किया एवं चलाया

जाता है, के संबंध में शिक्षा प्रदान की। इसके नेताओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिकल्पना, लोकतांत्रिक, नागरिक स्वतंत्रता वाली, धर्म-निरपेक्ष सरकार की थी जिसका आधार आत्मनिर्भरता, समतावादी समाज व्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति थी। इस आंदोलन ने जनतांत्रिक विचारों और संस्थाओं को लोकप्रिय बनाया। आम चुनाव के आधार पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की माँग की। राष्ट्रीय आंदोलन विकास के कई चरणों से गुजरा। जैसे-जैसे यह एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा, इसका सामाजिक आधार व्यापक होता चला गया और इसका उद्देश्य अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। धीरे-धीरे व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति एवं सविधानवाद इनकी कार्यप्रणाली के मूल मंत्र बन गए। आर्थिक आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं ने विशेषकर श्री दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे तथा श्री रोमेश चन्द्र दत्त ने हर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को देश की राजनीतिक गुलामी के साथ जोड़ा। इस तरह एक-एक करके सभी मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने भारतीयों के दिल-दिमाग में यह बात बैठा दी कि ब्रिटिश सरकार का प्रशासन केवल शोषण का हथियार है। इसलिए भारतीय हितों के लिए राजनीतिक सत्ता और प्रशासन पूरी तरह से भारतीयों के नियंत्रण में होना चाहिए।

2 / NEERAJ : भारत : लोकतंत्र और विकास

### भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिस्थापना

1885 में कांग्रेस की स्थापना से भारतीय जनता के सभी वर्गों को अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक मांगों को प्रस्तुत करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्राप्त हुआ जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में भारतीयों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए सरकार पर दबाव डालना था। कांग्रेस ने अपने आपको सिर्फ उन सवालों तक ही सीमित रखने का प्रयास किया जो सबाल समूचे राष्ट्र से जुड़े थे और जिन सवालों पर सीधी भागीदारी की गुंजाइश हो यथा नौकरियों में भारतीयकरण की मांग, राज्य के प्रशासन तंत्र में भारतीयों की सहभागिता की मांग, पूँजी बहिर्गमन की रोकथाम, भारतीय उद्योगों को संरक्षण, दमनकारी कानूनों को समाप्त करना आदि। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना एवं नागरिक स्वतंत्रता जैसे प्रश्न भी उठाए गए।

कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रीयादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। इनका मुख्य उद्देश्य जनता को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रीयादी राजनीतिक चेतना विकसित करना एवं राजनीतिक प्रश्नों पर एक संगठित जनमत तैयार करना था। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र, स्मृति-पत्र एवं प्रतिनिधि मंडल का मार्ग ग्रहण करते थे। धीरे-धीरे बात यहाँ तक पहुँची कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। 1895 के “स्वराज्य विधेयक” (Swarajya Bill) में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन मिलते हैं जिसे 19वीं सदी में श्री तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि “भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा।” **वस्तुतः** 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का समय भारत के लिए निर्णायक समय था। इस अवधि के दौरान देश में राजनीतिक जागरूकता तीव्र गति से विकसित हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन-संगठन बन गया। स्वशासन, विधानमंडल तथा व्यापक मताधिकार की बढ़ती मांग से जागरूकता परिलक्षित होती है।

साइमन कमीशन के बाद सर्वदलीय सम्मेलन और सन् 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने उन सभी मांगों को समाविष्ट किया जो ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेश को प्राप्त थी। इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य, केन्द्र व प्रान्तों में उत्तरदायी शासन, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की गई। भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर बल दिया गया, सिंध को बम्बई प्रान्त से पृथक् कर एक नये प्रान्त के निर्माण की सिफारिश की गई। केन्द्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाने, निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से एवं उच्च

सदन का निर्वाचन परोक्ष रूप से करवाने की बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि नये संविधान में देशी रियासतों के ऊपर वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी ताज (Crown) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं।

यह रिपोर्ट बहुत ही प्रगतिवादी और उच्च श्रेणी की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन भारतीयों द्वारा अपने देश के संविधान निर्माण की यह पहली चेष्टा थी।

### गांधीजी का योगदान

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अद्वितीय सैनिक महात्मा गांधी ने सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र के हित के लिए न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी एवं उग्रराष्ट्रवादी दलों की नीतियों के उत्तम भागों का समन्वय किया अपितु दोनों को एक गतिशील एवं व्यवहारिक मोड़ दिया। चम्पारन, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को एक जन-आंदोलन का रूप दिया। राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया एवं राजनीतिक साध्यों के लिए नैतिक साधनों का प्रयोग करके पशुबल को आत्मबल से जीत लिया। मानवता के लिए उनका संदेश था अंहिसा और अंहिसात्मक साधनों का उपयोग करके 1920-22 के असहयोग आंदोलन, 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940-41 के निजी सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि भारत की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण है।

उन्होंने प्रत्येक भारतीय के दिल में दासता से घृणा एवं स्वतंत्रता से घ्यार उत्पन्न किया, समर्पण एवं सेवा की भावना जगाई। भारतीयों को राष्ट्र की पश्चिमी अवधारणा से परिचित कराया जो साम्राद्यकृता, धर्मिक एकता और सांप्रदायिकता से मुक्त थी तथा राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक-आर्थिक आयाम प्रदान करके राष्ट्रीय अर्थनीति की बुनियाद रखी। धर्मनिरपेक्ष भारत और साम्राद्यकृत एकता की भावना को ग्रोत्साहित किया। संसार को विश्वभ्रातृत्व एवं मानववाद का संदेश दिया। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति चाहते थे फलतः ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला।

### गांधीजी का स्वराज सार

दिसम्बर, 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या की गई तथा एक प्रस्ताव द्वारा सभी प्रान्तीय कांग्रेस समितियों को 26 जनवरी को संपूर्ण स्वतंत्रता का व्रत लिया। जनवरी, 1930 को “यंग इंडिया” में अपने एक लेख द्वारा स्वराज का सार प्रस्तुत किया और कुछ शर्तें रखीं, जो निम्नलिखित हैं :

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बौपौती-विकास, अधिकारों व भागीदारी के संदर्भ में / 3

लगान में पचास फीसदी कमी, सिविल सर्विस की तनख्वाह आधी कर दी जाए, फौजी खर्च में कम से कम पचास प्रतिशत कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपये की विनमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेस्स की जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पेश किया जाए, सी.आई.डी. विभाग खत्म कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण लगाया जाए।

हिन्दुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए बन्दूक, पिस्तौल आदि रखने के लाइसेंस दिए जाएं। नमक पर सरकारी इजारेदारी और नमक टैक्स खत्म किया जाए और नशीली वस्तुओं की बिक्री बन्द की जाए।

उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने या हत्या का प्रयत्न करने का अभियोग नहीं है।

गांधीजी की इस उद्घोषणा में कांग्रेस के लाहौर प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित संपूर्ण स्वतंत्रता की परिकल्पना की छाया दिखाई पड़ती है। इन सभी प्रस्तावों में साम्राज्यवाद-विरोध देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ आर्थिक आधार एवं जनसाधारण की मांग की अपील करती थी।

### कांग्रेस का कराची संकल्प

गांधी-इरविन समझौते (दिल्ली समझौते) को मंजूरी देने के लिए मार्च, 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। कांग्रेस अब केवल स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति तक ही अपने आपको सीमित रखने को तैयार नहीं थी अपितु वह चाहती थी कि वह भारतवासियों के लिए एक सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करे जिससे सभी लोग (स्त्री-पुरुष) सिर ऊँचा करके चल सकें अर्थात् अब स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य भी जुड़ गया। इस सत्र में प्रथम बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया तथा यह घोषणा की कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। प्रस्ताव में अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि से परे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, सभी धर्मों के प्रति राज्य के तटस्थ भाव, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव और स्वतंत्र एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी दी गई। प्रस्ताव में लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकर जोतों में लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत देने और सूदखोरी पर नियंत्रण, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा-शर्तें, काम के नियमित घर्टे और महिला मजदूरों की सुरक्षा, मजदूर किसानों को

अपनी यूनियन बनाने की आजादी और प्रमुख उद्योगों, खदान और परिवहन को सरकारी स्वामित्व में रखने का वायदा किया गया था। अल्पसंख्यकों व विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा की सुरक्षा का भी वायदा किया गया था। यह कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी बरकरार रहा।

### समाजवाद का बोध

20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्षों एवं तीसरे दशक के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बदलने लगा। अब तक कांग्रेस का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता था। अब सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की मांग भी की जाने लगी। इस काल में युवा वर्ग समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आने लगा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद युवा वर्ग का गांधीवादी रणनीति से मोह भंग होने लगा था। दूसरी ओर रूसी क्रान्ति की सफलता ने भी युवकों को इस ओर प्रेरित किया। इनको सैद्धान्तिक प्रेरणा मार्क्सवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद से मिली और ये लोग साम्राज्यवाद-विरोधी, राष्ट्रवादी एवं समाजवादी के रूप में सामने आए। इनमें श्री सुभाषचन्द्र बोस, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राम मनोहर लोहिया व श्री जयप्रकाश नारायण इत्यादि प्रमुख थे। सुभाषचन्द्र बोस के अनुसार कांग्रेस के वामपंथी समर्थक न केवल साम्राज्यवाद विरोधी थे, अपितु ये अपने राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाजवादी आधार पर चाहते थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि “मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ।” उन्होंने कहा कि यदि इस देश की गरीबी और असमानता समाप्त करनी है, तो भारत को एक समग्र समाजवादी कार्यक्रम अपनाना होगा।

समाजवाद के प्रति श्री नेहरू की प्रतिबद्धता को 1933-36 के दौरान अधिक स्पष्ट तथा धारदार अभिव्यक्ति मिली। 1936 के लाखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “मुझे वक्ता विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है।” मैं जब इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो अस्पष्ट मानवतावादी अर्थ में नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में करता हूँ.....जिसके अन्तर्गत काफी व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तनों की जरूरत होती है.....जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति। सीमित अर्थों को छोड़कर जिसका मतलब होता है वर्तमान लाभ की व्यवस्था के स्थान पर सहकारी सेवा की उच्चतम आदर्श की प्रतिष्ठा.....मुझे गरीबी को समाप्त करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। व्यापक बेरोजगारी, जहालत और भारतीय जनता की पराधीनता के अंत का समाजवाद के अलावा अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आता।

4 / NEERAJ : भारत : लोकतंत्र और विकास

### योजना का विचार

विख्यात अभियंता एम. विश्वेश्वरैया ने सन् 1934 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “प्लाण्ड इकॉनॉमी फॉर इंडिया” में एक ऐसी योजना का रूप रखा था जिसका उद्देश्य दस वर्ष में भारत की राष्ट्रीय आय को दोगुना करना था। इसके बाद कांग्रेस ने 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस समिति ने प्रो. के.टी. शाह को अवैतनिक मंत्री चुना। योजना समिति की सोच के पीछे मूलभूत विचार यह था कि किस प्रकार अधिक औद्योगीकरण किया जा सकता है और कैसे दरिद्रता और बेकारी कम की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कैसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों (ब्रिटिश सरकार व कांग्रेस में संघर्ष तथा द्वितीय विश्व-युद्ध) में समिति अपना पूरा कार्य करने में असमर्थ रही। इसी समय बम्बई के आठ उद्योगपतियों के एक समूह ने आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई, जिसे प्रायः “बम्बई योजना” कहते हैं। इसमें असमानता कम करने, भूधारणाधिकार व्यवस्था, लघु व कुटीर उद्योग, जन सेवाओं व मूल उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के संबंध में अनेक प्रावधान थे। इसी आस-पास श्री एम.एन राय जो एक साम्यवादी और उग्र मानवतावादी थे, उन्होंने भी “जनता योजना” सामने रखी। इसमें भावी औद्योगीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं भूमि के राष्ट्रीयकरण के संबंध में महत्वपूर्ण तर्क था। श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने गांधीयन योजना बनाई। 1944 में भारत सरकार ने भी एक “नियोजन एवं विकास विभाग” का गठन किया। सन् 1946 में एक “परामर्शदाता नियोजन बोर्ड” भी गठित किया गया।

### गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति

महात्मा गांधी की आर्थिक व्यवस्था में उत्पत्ति की मात्रा समाज की आवश्यकताएँ निर्धारित करती है। वे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का पुनरुद्धार चाहते थे और स्वदेशी उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। कुटीर उद्योगों का विकास करके वे भारतीयों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। वे मशीनी युग के विरोधी थे, मशीन के नहीं। उनका विश्वास था मशीन उसी समय तक अच्छी है, जब तक वह मनुष्य की सेवा करे।

वे भारत में स्वावलम्बी और स्वशासित ग्राम गणतंत्रों का जाल बिछाना चाहते थे तथा सम्पत्ति के संबंध में वे सीमा सिद्धांत (Doctrine of Limits) के समर्थक थे। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति के पास उनकी आवश्यकता के अनुसार सम्पत्ति रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी सम्पत्ति को सीमित करके त्याग की नीति अपनानी चाहिए।

महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप (Trusteeship) का सिद्धांत प्रमुख है। उनका कहना था कि जर्मींदार और

पूंजीपति कृषकों के ट्रस्टी की तरह कार्य करते हैं। ट्रस्टियों के रूप में जर्मींदारों और पूंजीपतियों को अपनी योग्यताओं और अपनी पूंजी को अपने हित में प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु समाज की भलाई के लिए ट्रस्टी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उन्हें उपार्जित धन में से एक उचित आधार पर कुछ मिलना चाहिए और शेष अन्य लोगों में बाँटा जाना चाहिए। इस प्रकार गांधीजी वर्ग-संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वे विभिन्न वर्गों की सहकारिता तथा एकीकरण के पक्ष में थे।

गांधीजी के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के अन्तर्गत राजनीतिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण सम्मिलित है। विकेन्द्रीकृत उत्पादन प्रणाली मूल तत्त्व है। वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण भी स्वतः होता है एवं उत्पादन तथा उपभोग दोनों एक ही क्षेत्र में होते हैं।

### गांधीवादी सामाजिक दर्शन

गांधीजी एक महान् समाज-सुधारक थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए यथा-अछूतोद्धार, नारियों का उत्थान, मादक द्रव्य निषेध आदि। अस्युश्यता को हिन्दू समाज का कलंक मानते थे। उन्होंने कहा था कि “इश्वर ने किसी को ऊँच-नीच के निशान के साथ नहीं उत्पन्न किया और कोई धार्मिक ग्रंथ भी जन्म से मुनाफ़ की ऊँचाई का निर्णय नहीं करता।” हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने महान् आंदोलन चलाया। अछूतों को हिन्दू समाज का अंग बनाने के लिए आमरण अनशन का निश्चय किया था। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए, उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए गांधीजी का प्रयास सराहनीय है। वे स्त्री-पुरुष को समान अधिकार देना चाहते थे। वे एक-दूसरे को पूरक मानते थे। अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने मद्य-निषेध को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। गांधीजी का लक्ष्य सबके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। सामाजिक न्याय वर्ण-व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम मानते थे। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए केवल सत्य एवं अहिंसापूर्ण साधनों को अपनाया। गांधीजी समाज में व्यक्ति के अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे तथा उनके अहिंसा पर आधारित नवीन समाज में अत्यन्त केन्द्रित एवं बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान नहीं था। गांधीजी नवीन समाज के निर्माण से पहले मुनाफ़ के हृदय में क्रान्ति लाना चाहते थे और उसे आत्मनिर्भर बनाना तथा उसके चरित्र को उन्नत बनाना चाहते थे।

### सर्वसम्पत्ति

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय चेतना या स्वतंत्रता के विचार के प्रसार का नतीजा था। यह सर्वप्रथम एक राजनीतिक आंदोलन था जिसमें कांग्रेस ने एक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में काम किया। केवल उन बुनियादी और